जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनाँक 05.03.21

52 पत्ते ताश व रु 27880 के साथ 10 अभियुक्त अन्तर्गत धारा 13 G Act मे गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री हरिओम सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव मय उ0नि0 श्री रीगल कुमार मय उ0नि0 श्री मनीष कुमार मय हमराह है0का0 615 उपेन्द्र व का0 2081 अमित कुमार, का0 2427 अंकित कुमार , का0 740 मोहनबीर सिंह व चीता-326 के कर्म0गण का0 1187 स्वतत्र शर्मा मय का0 1275 नीरज कुमार द्वारा दिनांक 04.03.2021 को समय 23.30 बजे जंगल ग्राम सारा हल्का चौकी हल्का प्रथम से अभियुक्तगण (1) बबलू पुत्र श्रीरामकिशन निवासी मोनू चक्की वाले के बराबर मे लंका पुरी थाना मोदीनगर गा0 बाद (2) पुलकित कौशिक पुत्र श्री सागर दत्त कौशिक निवासी एस एच एच टी गोविन्द पुरी थाना मोदीनगर जनपद गा0 बाद (3) आरिफ पुत्र श्री अब्दुल कादिर निवासी गली न0 01 विजय नगर थाना मोदीनगर जनपद गा0 बाद (4) वसीम पुत्र श्री मईनुदीन निवासी 154 हर मुखपुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद (5) अशोक पुत्र श्री राम लाल निवासी सारा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद (6) सुमित पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी ग्राम विधापुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद (7) विकास पुत्र श्री मदन मोहन निवासी कादर बाद थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद (8) राम सिंह शर्मा पुत्र श्री नत्थी शर्मा निवासी 9979 गली न0 3 वेस्ट गोरख पार्क शाहदरा थाना वेलकम दिल्ली (9) गोरव पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी गली न0 2 ब्रहम पुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद (10) ब्रिजमोहन पुत्र श्री मंगलसैन निवासी अर्जुन नगर रमते राम रोड जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया। जिनके कब्जे से 52 पत्ते ताश व 27880 रु बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 48/21 धारा 13 G Act पंजीकृत किया गया है।

विवरण गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणः-

(1) बबलू पुत्र श्रीरामकिशन निवासी मोनू चक्की वाले के बराबर मे लंका पुरी थाना मोदीनगर गा0 बाद

(2) पुलकित कौशिक पुत्र श्री सागर दत्त कौशिक निवासी एस एच एच टी गोविन्द पुरी थाना मोदीनगर जनपद गा0 बाद

(3) आरिफ पुत्र श्री अब्दुल कादिर निवासी गली न0 01 विजय नगर थाना मोदीनगर जनपद गा0 बाद

(4) वसीम पुत्र श्री मईनुदीन निवासी 154 हर मुखपुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

(5) अशोक पुत्र श्री राम लाल निवासी सारा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

(6) सुमित पुत्र श्री अर्जुन सिंह निवासी ग्राम विधापुर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

(7) विकास पुत्र श्री मदन मोहन निवासी कादर बाद थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद

(8) राम सिंह शर्मा पुत्र श्री नत्थी शर्मा निवासी 9979 गली न0 3 वेस्ट गोरख पार्क शाहदरा थाना वेलकम दिल्ली

(9) गोरव पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी गली न0 2 ब्रहम पुरी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

(10) ब्रिजमोहन पुत्र श्री मंगलसैन निवासी अर्जुन नगर रमते राम रोड जनपद गाजियाबाद

बरामदगी-

52 पत्ते ताश व 27880 रु

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा दि0- 30/12/2020 को पंकज पुत्र दिनेश निवासी सोनिया विहार की हत्या कर फरार हो जानें वाले अभियुक्त शेरू उर्फ शेर खान पुत्र इरशाद उर्फ भालू निवासी डाबर तालाब थाना लोनी गाजियाबाद को आज दि0- 05/03/2021 को लाल बाग मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है । यह अभियुक्त मु0अ0सं0 09/21 धारा 302/201/34 भादवि में वांछित चल रहा था। यह गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी का हिस्ट्रीशीटर नं0- 177 ए एवं टॉप 10 अपराधी है। जिसके विरूद्ध करीब 2 दर्जन अभियोग हत्या, लूट, हत्या का प्रयास व गैंगस्टर आदि के दर्ज है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त शेरू उर्फ शेर खान पुत्र इरशाद उर्फ भालू द्वारा अपने साथी सुहैल पुत्र इदरीश निवासी सोनिया विहार नूर मौ0 उर्फ नूरा पुत्र अली मौ0 निवासी नसबंदी कालोनी लोनी, इमरान पुत्र इरशाद उर्फ भालू निवासी डाबर तालाब के साथ मिलकर दि0- 30/12/2020 को रात्री में डाबर तालाब शमशान घाट के पास मृतक पंकज पुत्र दिनेश निवासी सोनिया विहार की हत्या कर दी गयी थी। जिसके संबंध में मृतक के पिता दिनेश यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कराया था। इस प्रकरण में सुहैल व इमरान पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -

1-शेरू उर्फ शेर खान पुत्र इरशाद उर्फ भालू निवासी डाबर तालाब थाना लोनी गाजियाबाद

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	329/13	420/411/34 भादवि	सीमापुरी दिल्ली
2	89/14	147/148/149/302भादवि	लोनी
3	436/14	307/452/427/323/504 भादवि	लोनी
4	30/17	25 शस्त्र अधि0	लोनी
5	317/15	420/414 भादवि	आदर्श नगर दिल्ली
6	291/19	3/25 शस्त्र अधि0	लोनी
7	151/16	420/34 भादवि	शाहदरा
8	135/17	2/3 गैंगस्टर अधि0	लोनी
9	1236/17	411/414 भादवि	कोतवाली गा0बाद
10	301/16	25/54/59 शस्त्र अधि	कृष्णा नगर दिल्ली
11	292/19	8/21 NDPS ACT	लोनी
12	373/18	8/20 NDPS ACT	लोनी
13	1243/17	4/25 आर्मस एक्ट	कोतवाली गा0बाद
14	374/18	414/411 भादवि	लोनी
15	290/19	307 भादवि	लोनी

16	141/16	420/34 भादवि	शाहदरा दिल्ली
17	469/14	307 भादवि व 7 सी.एल.ए एक्ट	लोनी
18	2565/17	420/379/411/414 भादवि	साहिबाबाद
19	1255/16	392 भादवि	ट्रोनिका सिटी
20	18/17	392/411 भादवि	लोनी
21	880/14	307/504/506 भादवि	लोनी
22	2013/14	323/504/506/307 भादवि	लोनी
23	1050/17	3/25 शस्त्र अधि0	लोनी बोर्डर
24	09/21	302/201/120/34 भादवि	लोनी

थाना लोनी पुलिस द्वारा सट्टे की खाई बाडी करनें वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार खाई बाडी के 750 रूपये बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा आज दि0- 04/03/2021 को सट्टे की खाई बाडी करने वाले अभियुक्त शाहिद पुत्र सद्दीक निवासी कच्चा बलराम नगर थाना लोनी गा0बाद को लोनी इंटर कालेज के पास से समय करीब 22.35 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया है । जिसके संबंध में मु0अ0सं0 263/21 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना लोनी पर पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -

1-शाहिद पुत्र सद्दीक निवासी कच्चा बलराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद

मु0अ0सं0 0263/21 धारा 13 जुआ अधिनियम

हत्या से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त मय एक अदद नाजायज पोनिया (तमंचा) .315 बोर (आलाकत्ल) मय 01 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर गिरफ्तार।

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 05.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस

समय सफलता मिली जब मृतक शाहबुद्दीन की हत्या मे नामजद अभियुक्त खालिद पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ राजू निवासी ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- श्री शोएब पुत्र शाहबुद्दीन उर्फ टुल्ली निवासी ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी ने दिनांक 26.02.21 को अभि0 द्वारा पिता शाहबुद्दीन उर्फ टुल्ली की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे दिनांक 26.02.2021 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 100/2021 धारा 304 भादवि पंजीकृत कराया गया। दिनांक 04.03.2021 को उक्त अभियोग के वांछित खालिद उपरेक्त को मुखबिर की सूचना पर सुन्दरदीप कालेज के पास भूडगढी बम्बा से गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक अदद नाजायज पोनिया (तमंचा) .315 बोर आलाकत्ल मय 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

(1)- खालिद पुत्र रियाजुद्दीन उर्फ राजू निवासी ग्राम कल्लूगढी थाना मसूरी गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 238/2019 धारा 420/406/506 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0 100/2021 धारा 304 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0स0 119/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद।

बरामदगी-

हत्या में प्रयुक्त एक अदद नाजायज पोनिया (तमंचा) .315 बोर आलाकत्ल मय 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक वाछित गौतस्कर अभियुक्त मय एक अदद नाजायज छुरी के साथ गिरफ्तार।

कार्यवाही -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधो की रोकथाम व तलाश वाछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 05.03.21 को प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब उ0नि0 श्री सोनू कुमार व उ0नि0 श्री उमेश कुमार द्वारा मय हमराही के गस्त व तलाश वाछित अपराधी के दौरान मुकदमें मे वांछित अभियुक्त कल्लू उर्फ जहीरुद्दीन पुत्र हमीद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को गंगनहर पटरी छोटे नीले पुल के पास से समय करीब 01.10 बजे एक अदद नाजायज छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने साथियों के साथ मिलकर घूमन्तु पशुओ की रैकी कर रात मे गौकशी की घटना को अंजाम देते है और उसके माँस को अलग अलग जगह ले जाकर बेच देते है अभि0 व उसके साथियो ने दिनाकं 21.01.2021 को जंगल मे गोकशी की घटना को अंजाम देकर गोमांस की तस्करी कर रहे थे। जिसके सम्बन्ध मे थाना मसूरी मे मु0अ0सं0 26/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर 02 मुकदमें मुकदमें पंजीकृत है जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) कल्लू उर्फ जहीरुद्दीन पुत्र हमीद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

(1) एक अदद नाजायज छुरी।

पंजीकृत अभियोग-

4. मु0अ0स0 26/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 118/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मसूरी गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश -

1. 1 मु0अ0स0 26/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद .
2. मु0अ0सं0 118/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद

एक वांछित अभियुक्त मय एक अदद तंमचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 19/21 धारा 452,504,506,307 भादवि. के गिरफ्तार,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय गाजियाबाद के कुशल निर्देशन में दिनांक 05.03.2021 को मु0अ0सं0 19/21 धारा 452,504,506,307 भादवि. से सम्बन्धित फरार चल रहे वांछित अभियुक्त मेहर सिंह पुत्र राजवीर सिंह नि0 ग्राम दतैडी थाना भोजपुर गा0बाद को घटना में प्रयुक्त तमंचा व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस . 315 बोर के गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका: -

उपरोक्त प्रकरण में पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने माफी मांगते हुए बताया कि मैने इस तमंचे से गाँव के गिरीराज सिंह के ऊपर गुस्से में आकर गोली चला दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

मेहर सिंह पुत्र राजवीर सिंह नि0 ग्राम औरंगाबाद दतैडी थाना भोजपुर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 66/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गा0बाद।

(वांछित-सम्बन्धित मु0अ0सं0 19/21 धारा 452,504,506,307 भादवि. थाना भोजपुर)

बरामदगी का विवरण –

एक अदद तमंचा .315 बोर

01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

01 खोखा कारतूस .315 बोर

(थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक नाजाय़ज तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध नियन्त्रण हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चतुर्थ महोदय साहिबाबाद के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना टीला मोड श्री ओमप्रकाश आर्य के नेतृत्व में दिनांक 5.3.2021 को पानी की टंकी इन्द्रप्रस्त कालोनी से थाना हाजा पुलिस द्वारा दौराने गश्त एक अभियुक्त लवकुश पुत्र श्री कंचन सिहं नि0 टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित व जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड पर मु0अ0स0 92/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. लवकुश पुत्र श्री कंचन सिहं नि0 टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभि0गण

1. मु0अ0स0 92/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त से एक नाजाय़ज तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया